M371/DY-No -857 12/12/14

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

### Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)

### Notification

New Delhi, the 12th October, 2014.

#### (Income-tax)

S.O. \_\_\_(E).- In exercise of the powers conferred by sub-clause (xiii) of clause (c) of sub-section (8) of section 35AD read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

(1) These rules may be called the Income-tax (14th Amendment) Rules, 2014. 1. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, (i)after rule 11-OA, the following rule shall be inserted, namely:-

"Guidelines for notification of a semiconductor wafer fabrication manufacturing unit as specified business under section 35AD.

11-OB. (1) The notification of a semiconductor wafer fabrication manufacturing unit as a specified business under sub-clause (xiii) of clause (c) of sub-section (8) of section 35AD of the Act shall be in accordance with the following procedure, namely:-

- (a) the applicant shall apply for notification of the unit in Form No. 3CS to Member (Income-tax), Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, North Block, New Delhi;
- (b) the Board shall serve a deficiency letter on the applicant if any defect is noticed in the application in Form No. 3CS or if any relevant document is not attached thereto;

- (c) the applicant shall remove the deficiency within a period of fifteen days from the date of service of the deficiency letter or within such further period which, on an application made in this behalf may be extended;
- (d) if the applicant fails to remove the deficiency within the period so allowed, the Board, if satisfied, may pass an order treating the application as invalid;
- (e) the Board may call for such documents or information from the applicant as it may consider necessary and may call for further details or information from the applicant as well as from the income-tax authorities and other Departments or agencies, as it may deem fit;
- (f) the Board may, after considering the application and the documents or the information referred to in clause (e), either issue the notification to be published in the Official Gazette granting approval to the unit or for reasons to be recorded in writing reject the application.
- (g) The Board may, withdraw the approval if it is satisfied that: ---
  - (i) the assessee has ceased its activities relating to the specified business; or
  - (ii) such activities are not genuine or are not being carried out in accordance with all or any of the conditions under section 35AD or under this rule; or
  - (iii) the approval granted by the competent authority on the recommendations of the Appraisal Committee under the Modified Special Incentive Package Scheme of the Department of Electronics and Information Technology has been withdrawn.

- (h) no order treating the application as invalid or rejecting the application or withdrawing the approval or cancellation of the notification, shall be passed without giving an opportunity of being heard to the assessee;
- (i) a copy of the order invalidating or rejecting the application or withdrawing the approval shall be communicated to the applicant and the Assessing Officer and the Commissioner having jurisdiction over the assessee.

(2) A unit shall be considered for notification if it fulfils all of the following conditions, namely: ---

(a)the unit shall be exclusively for the manufacture of semiconductor wafer fabrications;

(b)the unit shall have prior approval of the competent authority on the recommendations of Appraisal Committee under the Modified Special Incentive Package Scheme notified by the Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India;

(c)the date of commencement of operations of the unit shall be on or after the 1st day of April 2014;

(d)the unit may have one or more manufacturing facilities and all the facilities shall be located in India;

(3) The assessee shall maintain separate books of accounts for the unit with complete details of all capital expenditure incurred during the previous year on which it intends to claim the said deduction under section 35AD and shall file the relevant income-tax returns by the due date to the Income-tax Department to avail the tax benefit under section 35AD.

(4) A unit notified under sub-clause (xiii) of clause (c) of sub-section (8) of section 35AD shall continue to be governed by the provisions of this rule to the extent it is not in contravention with the provisions of the Act, as amended from time to time.

(5) In this rule and the Form, -

(a)"competent authority" means the authority approving the unit under the Modified Special Incentive Package Scheme notified by the Government of India, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology;

(b)"date of commencement of operations" means the date on which the commercial production of the unit commences;

(c)"semiconductor wafer fabrications" means integrated circuits which are covered in the National Industrial Classification, 2008 under Division 26; Group 261; Class 2610;Sub class 26103;

(d)"Unit" means manufacturing facility for semiconductor wafer fabrications;"

(ii)in Appendix II, after Form No. 3CR, the following Form shall be inserted, namely:-----

# FORM NO. 3CS

[See rule 11-OB(1)(a)]

Application for notification of a semiconductor wafer fabrication manufacturing unit as specified business under section 35AD

1.1 Name and address of the specified business (in full, block letters):-

						·
1.2	Details of th	ne assessee:	-	2		
(i)	Name (in full, block letters)					
(ii)	Is there any change in the name? If yes, please furnish the old name					
(iii)	PAN					
(iv)	Complete add	lress			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>.</u>
(v)	Office	Phone	Number	(with	STD	code)
(vi)	Mobile	No.	·		Email	Address
(vii)	Date of incor (whichever a		ormation (DD/MN	I/YYYY)		
(viii)	[public_compo authority_4,	cooperati m - 7, i	private company ve society - 5, ndividual – 8,	LLP - 6, HUF – 9,	AOP/B	OI artificial

	11 6	domestic company (Tick) 🗹	
(x)	Inc	ome-tax Ward/Circle	
(xi)	Res	sidential Status ( <i>Tick</i> ) 🗹 🗌 🗌 🗌 Resident Non-Reside	nt ·
2.1	Loc	ation of the proposed unit:-	
i)	Na	me of the unit (if any)	-
ii)		nplete address of location/locations of the proposed a) Location 1	
		b) Location 2	
		۱ ۱	
ĺ		her each of the following conditions mentioned in fulfilled:—	n sub-rule (2) of rule
.	a)	0	
	a) b)	the unit is exclusively for the manufacture of	
		the unit is exclusively for the manufacture of semiconductor wafer fabrications. the unit has been approved by the competent authority on the recommendations of the Appraisal Committee under the Modified Special Incentive Package Scheme of the Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology	Yes/No

3.2 If answer to 3.1 (b) above is 'yes', then

(a)Date of approval under the Modified Special Incentive Package Scheme of the Department of Electronics and Information Technology;\_\_\_\_\_

(b)Order No of such approval \_\_\_\_\_

### DECLARATION

I/We hereby undertake to continue to operate the...... unit during the period...... in accordance with the provisions of section 35AD of the Incometax Act, 1961.

I/We hereby certify that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

(Signature of Applicant)

(Name in Block Letters)

(Designation of the Signatory)

Place:\_\_\_\_\_ Date:\_\_\_\_\_ List of Enclosures:-

1	 	
2		 
3		
4.		

5	
6	
7	<u>.</u>

[Notification No. 🖌 / 2014/F. No.142/04/2014-TPL]

Chopra) rector (TPL-II)

Note .-- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 969 dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and was last amended by, vide notification S.O.3015 (E) dated 28/11/2014.

# [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

# भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 12 दिसंबर, 2014

### (आय-कर)

का.आ. (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धार 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (xiii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (14 वां संशोधन) नियम, 2014 है |

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,

(i) नियम 11-णक के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"धारा 35कघ के अधीन यथा विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में किसी अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की अधिसूचना के लिए मार्गनिर्देश ।

11-णख (1) अधिनियम की धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (xiii) के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की अधिसूचना निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी, अर्थात :-

(क) आवेदक प्ररुप सं. 3गध में इकाई की अधिसूचना के लिए सदस्य (आयकर), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को आवेदन करेगा ;

(ख) बोर्ड आवेदक को किसी कमी का पत्र भेजेगा यदि प्ररुप सं. 3गध में कोई कमी जानकारी में आती है या यदि उसने कोई सुसंगत दस्तावेज संबद्ध नहीं किए हैं ;

(ग) आवेदक कमी के पत्र की तामील की तारीख से 15 दिनों की अवधि या ऐसी और अवधि के भीतर जिसे इस निमित्त आवेदन द्वारा बढाया जा सकेगा, कमियों को दूर करेगा;

(घ) यदि आवेदक इस प्रकार अनुज्ञात अवधि के भीतर कमियों को दूर करने में

असफल रहता है, बोर्ड का यदि समाधान हो जाता है तो बोर्ड आवेदन को अविधिमान्य मानने के लिए आदेश पारित कर सकेगा ;

(ङ) बोर्ड आवेदक से ऐसे दस्तावेजों और सूचना की मांग कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे और ब्यौरों या सूचना की आवेदक से मांग करने के साथ-साथ आयकर प्राधिकारियों और अन्य विभागों या अभिकरणों से मांग कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे ;

(च) बोर्ड खंड (ड) में निर्दिष्ट आवेदन और दस्तावेजों या सूचना पर विचार करने के पश्चात् या तो इकाई को अनुमोदन प्रदान करते हुए राजपत्र में प्रकाशन के लिए अधिसूचना जारी करेगा या कारणों को लेखबद्ध करते हुए आवेदन को अस्वीकार कर देगा ;

(छ) बोर्ड का यदि समाधान हो जाता है तो वह अनुमोदन का प्रतिसंहरण कर सकेगा कि--

- (i) निर्धारिती ने विनिर्दिष्ट कारबार से संबंधित अपने कार्यकलाप करना बंद कर दिया है ; या
- (ii) ऐसे कार्यकलाप वास्तविक नहीं है या उन्हें धारा 35कघ या इस नियम के अधीन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किया जा रहा है ; या
- (iii) इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उपांतरित विशेष प्रोत्साहन पैकेंज स्कीम के अधीन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्रांधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन का प्रतिसंहरण कर लिया गया है।

(ज) आवेदन को अविधिमान्य मानने या अरवीकार करने या आवेदन का प्रतिसंहरण करने या अधिसूचना को रद्द करने का कोई आदेश निर्धारिती को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा ;

(झ) आवेदन को अविधिमान्य करने या अस्वीकार करने या अनुमोदन के प्रतिसंहरण करने के आदेश की एक प्रति आवेदक और निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी और आयुक्त को संसूचित की जाएगी ।

(2) किसी इकाई पर अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात :-

(क) इकाई अनन्य रूप से अर्धचालक वेफर संविरचनाओं के विनिर्माण के लिए होगी ;

(ख) इकाई के पास भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, द्वारा अधिसूचित उपांतरित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन होगा ;

(ग) इकाई द्वारा प्रचालनों का प्रारंभ 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् होगा ;

(घ) इकाई के पास एक या अधिक विनिर्माण प्रसुविधाएं हो सकेंगी और सभी प्रसुविधाएं भारत में अवस्थित होंगी ;

(3) निर्धारिती पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यूनिट पर उपगत सभी पूंजी व्यय के पूर्ण ब्यौरों, जिन पर व्यय धारा 35कघ के अधीन उक्त कटौती का दावा करने का आशय रखता है, सहित पृथक् लेखा बहियां रखेगा और धारा 35कघ के अधीन कर फायदा लेने के लिए आयकर विभाग के पास सम्यक् तारीख से पूर्व सुसंगत आयकर विवरणियां फाइल करेंगा ।

(4) धारा 35कग की उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (xiii) के अधीन अधिसूचित किसी इकाई का इस नियम के उपबंधों द्वारा प्रशासित होना, जहां तक वह समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत नहीं है, जारी रहेगा ।

(5) इस नियम और प्ररुप में,---

(क) ''सक्षम प्राधिकारी से'' भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, द्वारा अधिसूचित उपांतरित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन अनुमोदन करने वाला प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) ''प्रचालन आरंभ करने की तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होता है ;

(ग) ''अर्धचालक वेफर संविरचना'' से एकीकृत परिपथ अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2008 के अधीन विभाजन 26 ; समूह 261 ; वर्ग 2610 ; उपवर्ग 26103 के अधीन आते हैं ;

(घ) "इकाई" से अर्धचालक वेफर संविरचनाओं के विनिर्माण के लिए सुविधा अभिप्रेत है ;"

(ii) परिशिष्ट II में, प्ररूप सं. 3गध के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

# प्ररुप सं. अगध

[नियम 11णख(1)(क) देखें]

धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की अधिसूचना के लिए आवेदन

1.1 विनिर्दिष्ट कारबार का नाम और पता (पूर्ण, स्पष्ट अक्षरों में) :-
1.2 निर्धारिती के ब्यौरे
(i) नाम (पूर्ण, स्पष्ट अक्षरों में)
(ii) क्या नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां तो पूराना नाम दें
······
(iii) <sup>ਪ</sup> न
(iv) पूरा पता
۰ 
<ul><li>(v) कार्यालय का टेलीफोन न. (एसटीडी कोड सहित)</li></ul>
······
(vi) मोबाइल नं ई-मेल पता
(vii) निगमन/विरचना की तारीख (दिन/मास/वर्ष) जो लागू हो
(viii) प्रास्थिति
[पब्लिक कंपनी - 1, प्राइवेट कंपनी - 2, भागीदारी फर्म - 3, स्थानीय प्राधिकारी - 4,
सहकारी सोसाइटी - 5, एलएलपी - 6, एओपी/बीओआई कत्रिम विधिक व्यक्ति - 7,
व्यष्टिक - ८, हि.अ.वि ९, कोई अन्य व्यक्ति - १० (कृपया विनिर्दिष्ट करें)]

4

- (ix) यदि घरेलू कपनी है (√ चिन्ह लगाएं)
  (x) आयकर वार्ड/सर्कल
- (xi) आवासीय प्रास्थिति (√ चिन्ह लगाएं)

\_\_\_\_\_ निवासी

# 2.1 प्रस्तावित इकाई की प्रास्थिति

- (i) इकाई का नाम (यदि कोई हो) .....
- (ii) प्रस्तावित इकाई की प्रास्थिति/प्रास्थितियों का पूरां पता :-
  - क) प्रास्थिति १. .....
  - ख) प्रास्थिति २. .....

2.2 इकाई के प्रचालनों के प्रारंभ होने की संभावित या वास्तविक तारीख .....

3.1 क्या नियम 11णख के उपनियम (2) में वर्णित निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा किया गया है :-

क)	इकाई अनन्य रूप से अर्धचालक वेफर संविरचनाओं के विनिर्माण के लिए है	हां/नहीं
ख)	इकाई को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उपांतरित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अनुमोदित किया गया है	हां/नहीं
ग)	परियोजना के प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल, 2014 या उसके पश्चात् है	हां/नहीं
ਬ)	इकाई की सभी विनिर्माण प्रसुविधाएं भारत में अवस्थित हैं	हां/नहीं

3.2 यदि पूर्वोक्त 3.1(ख) का उत्तर 'हा' है तो -

(क) इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उपांतरित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन अनुमोदन की तारीख .....

(ख) ऐसे अनुमोदन की आदेश सं. .....

## घोषणा

में/हम...... इकाई के प्रचालनों को ...... अवधि के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कघ के उपबंधों के अनुसार जारी रखने का वचनबंध करते हैं ।

मैं/हम ...... प्रमाणित करते हैं कि पूर्वोक्त कथन मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।

·····
आवेदक के हस्ताक्षर
(रपष्ट अक्षरों में नाम)

(हस्ताक्षकर्ता का पदनाम)

स्थान	•
तारीख	
संलग्नकों की सूची	· · · ·
1	5
2	6
3	7
4	· ·

[अधिसूचना सं. 8. ..../2014 फा.सं. 142/4/2014-टीपीप्रल]

ہر شریح کر ایک ہے۔ (रमन चोपड़ा) निदेशक (टीपीएल-II)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं का.आ. 3015(अ) तारीख 28/11/2014 द्वारा किया गया ।

6 .